संख्या-16/2015/637 ई-1/तेरह-2015-499(2)/2008

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 28 अप्रैल, 2015

विषयः- आबकारी विभाग में संविदा पर वाहन लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी 3800/एक-लेखा/सशक्तीकरण/संविदा वाहन, दिनांक 11 मार्च, 2015 एवं पत्र संख्या-सी134/एक-लेखा/सशक्तीकरण/संविदा वाहन/2010-11, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-562 ई-1/तेरह-2010-499(2)/2008 दिनांक 27-04-2010 द्वारा आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तीकरण के अन्तर्गत स्ट्राइकिंग फोर्स के लिये 58 वाहन तथा जनपदों के लिये 71 वाहन अर्थात कुल 129 वाहन वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् उक्त वाहनों को वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिये संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति क्रमशः शासनादेश संख्या-623 ई-1/तेरह-499(2)/2008 दिनांक 23 मई 2011, शासनादेश संख्या-617 ई-1/तेरह-2012-499(2)/2008 दिनांक 19-06-2012, शासनादेश संख्या- 648 ई-1/तेरह-2013-499(2)/2008 दिनांक 06 जून 2013, एवं शासनादेश संख्या-735 ई-1/तेरह-2013-499(2)/2008 दिनांक 16-06-2014 द्वारा प्रदान की गई थी।

3. उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये संविदा पर वाहनों का उपयोग किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-562 ई-1/तेरह-2010-499(2)/2008 दिनांक 27-04-2010 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अनुसार स्ट्राइकिंग फोर्स के लिये 58 वाहन तथा नवसृजित जनपदों-सम्भल, हापुड व शामली हेतु एक-एक

http://shasanadesh.up.nic.in

वाहन सम्मिलित करते हुए जनपदों हेतु 74 वाहन, अर्थात कुल 132 वाहन संविदा पर लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-1 के लेखा शीर्ष-2039-राज्य उत्पाद शुल्क (आयोजनेत्तर)-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-भट्ठियाँ-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-9-163/दस-2015, दिनांक 28 अप्रैल 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2015/637ई-1/तेरह-2015-499(2)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9,
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in